यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, **डाकपत्थर** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई गयी किसी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, **डाकपत्थर** के माह 09/2013 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री खुशीराम व.ले.प. एवं सुश्री रेखा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 19-09-2017 से 22-09-2017 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग-प्रथम

**1.** **परिचयात्मकः- इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री** रामवीर, व.ले.प., श्री वी.पी. सिंह, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 21.09.13 से 26.09.13 तक श्री आई.के. जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/लेखापरीक्षा अधिकारी **के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 12/2006 से 08/2013 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2013 से 08/2017 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।**

**2. (I)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-

**(II)** (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

| वर्ष | प्रा. अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | | |
| 2014-15 | शून्य | शून्य | 21757000 | 21753335 | 1143000 | 1142370 | शून्य | 4295 |
| 2015-16 | शून्य | शून्य | 5589000 | 5587533 | 392000 | 391544 | शून्य | 1923 |
| 2016-17 | शून्य | शून्य | 31935000 | 31549365 | 1059000 | 1057336 | शून्य | 387299 |
| 2017 till date | शून्य | शून्य | 29213000 | 17483402 | 589000 | 64271 | शून्य | 12254327 |

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः-

**(₹ लाख में)**

| वर्ष | योजना का नाम | प्रा. अवशेष | प्राप्त | व्यय आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|
| ----------शून्य ---------- | | | | | |

**(iii)** इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना को सम्मिलित करते हे इकाई सी श्रेणी की है।

**(iv)** लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 05/2014 एवं 03/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया।

**(vi)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 18 (i) लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

## भाग दो 'अ'

प्रस्तर-1 निर्मित गर्ल्स हॉस्टल पर ₹ 253.66 लाख का अलाभकारी व्यय का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर (देहरादून) की लेखापरीक्षा में पाया गया कि महाविद्यालय में छात्र तथा छात्रा के पृथक-पृथक हॉस्टल के निर्माण के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 में ₹ 342.66 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान की, जिसके सापेक्ष दिनांक 31.03.18, 17.03.09, 10.11.09, 23.07.10 तथा 17.01.12 को निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम को कुल धनराशि ₹ 276.00 लाख अवमुक्त की गयी। इस समय अन्तराल में लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड की दरों में काफी वृद्धि होने के कारण दिनांक 03.09.12 की शासन की समीक्षा बैठक में प्राविधानित दो छात्रावासों के स्थान पर एक ही छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लिया गया जिसकी पुनरीक्षित आगणन ₹ 253.66 लाख का गठन कर शासन से स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना पाया गया। इस क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा निर्मित गर्ल्स हॉस्टल महाविद्यालय को जनवरी 2015 में हस्तगत किया जाना पाया गया। संबंधित भवन के अभिलेखों की विस्तृत जाँच में पाया गया कि निर्मित भवन एजेंसी द्वारा सितम्बर 2012 में महाविद्यालय को हस्तान्तरित करने को तैयार थी, परंतु भवन का अधिग्रहण 02 वर्ष विलम्ब से किया गया। आगे जाँच में पाया गया कि 2005 के शासकीय नीति के तहत महाविद्यालय परिसर में एस0सी0/एस0टी0 गर्ल्स छात्रावास निर्मित करने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में महिला छात्रावास के संचालन के लिये वर्ष 2015 में प्रवेश प्रारंभ के लिये छात्राओं से महाविद्यालय द्वारा आवेदन आमंत्रित किया जाना पाया गया। परंतु भवन हस्तगत तिथि से लेखापरीक्षा तिथि तक छात्रावास संचालन अवरूद्ध तथा इस अवधि में निवास करने वाले छात्राओं की संख्या शून्य पायी गयी।

इस ओर इंगति किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया गया कि महाविद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति के द्वारा छात्रावास की सुविधा हेतु आवेदन मांगे गये थे, कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। छात्रावास के संचालन के लिये मानकानुसार पदों पर विज्ञप्ति जारी की गयी, लेकिन छात्रावास को सुविधा के लिये छात्राओं द्वारा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। अग्रेतर प्रयास पुनः किया जायेगा।

लेखापरीक्षा में उत्तर मान्य नहीं है, चयनित स्थल पर इतने बड़े लागत से निर्मत भवन बनाने के पूर्व महाविद्यालय स्तर पर विज्ञप्ति तथा स्थानीय जनसम्पर्क द्वारा प्रयोजन के लिये लोगों का मंतण्य प्राप्त कर निर्णय लिया जाना चाहिए था, परंतु इस आशय का निर्णय एकपक्षीय पाया गया, फलतः इच्छुक आवेदनकर्ताओं की संख्या शून्य पाया गयी।

अतः हॉस्टल पर ₹ 253.66 लाख का अलाभकारी व्यय का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता हैं।

**STAN**

**प्रस्तर 01: छात्रवृत्ति धनराशि रू0 815567.04 को अवरूद्ध रखे जाने का प्रकरण।**

शासनादेश के अनुसार वर्ष 2013–14 से छात्रवृत्ति को ऑनलाइन, सीधे छात्रों के खाते में हस्तान्तरित किया जाना प्रारम्भ हुआ। वर्तमान में उत्तराखण्ड के सभी महाविद्यालय में छात्रवृत्ति ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। अतः महाविद्यालयों द्वारा अवशेष धनराशि समाज कल्याण विभाग को समर्पित की जानी चाहिए थी।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर के छात्रवृत्ति संबंधी अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में रू0 815567.04 छात्रवृत्ति धनराशि अवरूद्ध पड़ी हुई है। इससे स्पष्टतया उदासीनता एवं लापरवाही परिलक्षित होती है। चूंकि यह धनराशि सरकार की है। अतः इस धनराशि को समर्पित किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर महाविद्यालय ने उत्तर दिया कि इस धनराशि को शीघ्र ही समाज कल्याण विभाग को समर्पित कर दिया जाएगा।

अतः रू0 815567.04 छात्रवृत्ति धनराशि का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

**STAN**

**प्रस्तर 2 : छात्रनिधि खाते के दुरूपयोग का प्रकरण।**

राजकयी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर के छात्रनिधि अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान सिक्योरिटी गार्ड खाते का रख रखाव किया जाना पाया गया। इस खाते का उद्देश्य सिक्योरिटी गार्ड का वेतन दिया जाना है। जिस हेतु प्रति छात्र रू0 15 को धनराशि वसूल की जाती है। परन्तु इस खाते से सिक्योरिटी गार्ड के वतेन के अलावा पुताई, फर्नीचर, सामग्री, छात्रावास कार्य देहरादून के बिल्डर शरीफ बैग को रू0 71518 का भुगतान किया गया।

इस ओर इंगित किए जाने पर महाविद्यालय ने स्पष्ट किया कि इस खाते से धनराशि का व्यय NAAC को पूर्व तैयारी हेतु किया गया, क्योंकि शासन/निदेशालय स्तर पर कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है। क्योंकि NAAC की पूर्व तेयारी हेतु धनराशि छात्रनिधि से आहरित करने हेतु निदेशालय से ली गई अनुमति लेखापरीक्षा के प्रकाश में नहीं आई।

अतः छात्रनिधि खाते के दुरूपयोग का प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग-III

## विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-दो (अ) प्रस्तर संख्या | भाग-दो (ब) प्रस्तर संख्या | **STAN** |
|---|---|---|---|
| **203/2006-07**<br>**88/2013-14** | **1** | | **1, 2, 3 & 4**<br>**1** |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण | अनुपालन आख्या | लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| **203/2006-07**<br>**88/2013-14** | | **अनुपलब्ध**<br>**अनुपलब्ध** | यूनिट द्वारा उचित माध्यम से निर्धारित प्रारूप में तैयार कर प्रेषित करने की बात कही गयी। | |

## भाग-**IV**

## इकाई के सर्वेत्तम कार्य

----------शून्य---------

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(I) शून्य

**2.** सतत् अनियमितताएं

(I) शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः

| क्र.सं. | नाम | पदनाम | अवधि |
|---|---|---|---|
| 1 | डा. गौरी सेवक | प्राचार्य | 21.09.2013 से 14.12.2015 तक |
| 2 | डा. पंकज कुमार | प्राचार्य | 15.12.2015 से 31.01.2016 तक |
| 3 | डा. गौरी सेवक | प्राचार्य | 01.12.2016 से 28.12.2016 तक |
| 4 | डा. पंकज कुमार | प्राचार्य | 29.12.2016 से 12.01.2017 तक |
| 5 | डा. गौरी सेवक | प्राचार्य | 13.02.2016 से 14.04.2017 तक |
| 6 | डा. पंकज कुमार | प्राचार्य | 14.04.2017 से 03.06.017 तक |
| 7 | के.एल0 बिष्ट | प्राचार्य | 03.06.2017 से अविरत |

(V) लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति प्राचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, डाकपत्थर को इस आशय से प्रेषित किया गया कि वह लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के भीतर उसकी अनुपालन आख्या सीधे उप-महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ देहरादून–248195 को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी,
सामाजिक क्षेत्र